न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 32 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. जिलानी मोहम्मद पिता लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. टीपू पिता लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती खातुन बेगम पत्नी लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. मु॰ शबनम पुत्री लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. मु॰ सीमा पुत्री लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. मु॰ अंजुम पुत्री लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. मु॰ रेशमा पुत्री लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. मु॰ पिंकी पुत्री लाल मोहम्मद जी सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मदनलाल पिता देवीलाल जी लखारा, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. मदनलाल पिता देवीलाल जी लखारा (हिन्दू अविभाजित परिवार) निवासी कांकरोली (विक्रमराज फेमिली ट्रस्ट कांकरोली, ट्रस्टी मदनलाल व संतोषी देवी लखारा, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
दिनांक 06–04–2017 प्र.सं. 198 / 14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री जगदीश पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोरचना में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 2 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार हैं। उक्त आराजियात में वादीगण का कब्जा अपने पूर्वाधिकारी स्वर्गीय लाल मोहम्मद के समय से चला आ रहा है, जिनकी मृत्यु दिनांक 13–12–2004 को हो चुकी है। वादीगण व उनके पूर्वाधिकारी का सन् 1990 से लगभग 24 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। आराजी नंबर 458 रकबा 4 बिस्वा का अन्तरण करते हुए एक विक्रय पत्र केशरसिंह पिता कानसिंह ने वादीगण के पूर्वाधिकारी लाल मोहम्मद के पक्ष में 30,000 / – रूपये में दिनांक 12–11–1990 में निष्पादित कर उसके पंजीयन करवा कब्जा सिपुर्द कर दिया, किन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया। राजस्व रेकार्ड में आज भी उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज होकर मदनलाल पिता देवीलाल हिन्दू अविभाजित परिवार लखारा, विक्रमराज फैमिली ट्रस्ट कांकरोली के नाम दर्ज होकर कब्जा वादीगण का है। इसी प्रकार आराजी नंबर 758 / 451 रकबा 5 बिस्वा भूमि का अन्तरण कानसिंह पिता किशनसिंह राजपूत द्वारा दिनांक 12–11–1990 को 30,000 / – रूपये में वादीगण के पूर्वाधिकारी लाल मोहम्मद के नाम निष्पादित कर विधिवत पंजीकृत करवाया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया, परन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होकर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है,

जबकि कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। अतएवं वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के लिए अखबार में सम्मन साया करवाये गये, परन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से साक्ष्य वादीगण ली जाने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06–04–2017 से वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने के कारण खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का वाद खण्डन रहित था। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। यह भूमि वर्तमान में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा वादीगण का 24 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वे खातेदार हो चुके हैं। भूमि का रूपान्तरण वादीगण द्वारा करवाया जाता है तो उसके पूर्व राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर स्वयं का नाम स्थापित कराया जाना कानूनन आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने भू–उपयोग परिवर्तन के आधार पर दावा खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आई कि वादीगण का वाद मुख्यता 2 बिन्दुओं पर आधारित है। एक तो उसका प्रतिकूल कब्जा है, जिसके लिए माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय आर.आर.डी. दिनांक 14–06–2017 पेज 352 में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आर.आर. टी. 2017 (2) पेज 1139 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं होने का वर्णन किया है, तद्नुसार

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

जहां तक प्रकरण में विक्रय पत्रों का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि विक्रय पत्र एवं स्वयं वादीगण की प्लीडिंग्स के अनुसार भूमियों का औधोगिक रूपान्तरण हो चुका है तथा भूमियां कृषि भूमियां नहीं रही हैं। विक्रय पत्र में भी भूमियों का औधोगिक परिवर्तन हो जाने की व्यक्त अभिस्वीकृति है। तद्नुसार सुस्पष्ट है कि भूमियों की नोहियत कृषि भूमि नहीं है तथा भूमियों की औधोगिक नोहियत होने से इन भूमियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–04–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

जिलानी मोहम्मद पिता लाल मोहम्मद सिलावट मुसलमान, निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **मदनलाल पिता देवीलाल लखारा निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**04**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जगदीश पुरोहित**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....
.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–04–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।